न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः-4/2023 दायर दिनांकः- 22.09.2023

जीसीएमएस नं. 2023/435

1. मेघा पुत्र स्व0 हीरा
2. मंदू पुत्र हीरा
3. हुक्कल पुत्र हीरा
4. भरतसिंह पुत्र पांच्या
5. पृथ्वी पुत्र पांच्या
6. हेमराज पुत्र स्व0 पांच्या

} जाति मीणा निवारी गनिरामकापुरा दुघाटी, तहसील हिण्डौन, जिला. करौली।

—अपीलान्ट 06

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध नामांतकरण नम्बरी 8 तारीखी 25.8.77 ग्राम पंचायत सिकरौदा मीना पं0स0 हिण्डौन सिटी जिसमें अपीलान्ट के पिता की जाति मीना दर्ज नही की गयी

उपस्थित –1.श्री सुगरसिंह अधिवक्ता अपीलान्टीगण

निर्णय

दिनांकः–12.04.2024

अपीलान्टीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 76 एल0आर0एक्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता हीरा, पांच्या पुत्रगण श्री पईसा जाति मीना निवासी दुघाटी तहसील हिण्डौन से दिनांक 25.3.77 को उसकी भूमि ख0 न0 326 रकवा 15 बीघा मे से 4/5 भाग जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया है। जो विकय पत्र सबरजिस्ट्रार हिण्डौन के यहॉ पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 48 कमांक 99 से 101 और 102 पर दिनांक 2.5.77 को पंजीबद्ध किया गया, जिसमें अपीलान्टस के पिताओं की जाति स्पष्ट दर्ज है, उक्त आराजीयात के नवीन खाता सं0 71 के ख0 न0 756 रकवा 0.66 है0, 757 रकवा 1.30 है0, 758 रकवा 0.49 है0, कुल किता 3 कुल रकवा 2.45 है0 वाके ग्राम दुघाटी तहसील हिण्डौन बने है।

उपरोक्त विकय पत्र के [illegible] ग्राम [illegible] सिकरौदा मीना द्वारा नामांतकरण भरा गया, लेकिन ग्राम पंचायत सि[illegible] ने [illegible]करण भरते समय अपीलान्टस की जाति लिख[illegible] पत्र में अपीला[illegible] के पिता की जाति स्पष्ट रूप [illegible] दर्ज है। जो कि नामांतकरण अपीलान्टस के पिता की जाति मीना दर्ज किया ज[illegible] आवश्यक है। इस कारण नामांतकरण जेरे अपील अपूर्ण है। जो कि पुनः नये सिरे से भरा जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:41:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (...)

Scanned with CamScanner

अपीलान्टस के पिता हीरा पांच्या पुत्रगण पईसा का देहान्त हो चुका है। अपीलान्टस ही अपने पिता हीरा, पांच्या के वारिसान है। दिनांक 20.4.2020 को पांच्या का देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट पृथ्वी, भरतसिंह, हेमराज मृतक पांच्या के वारिसान है। तथा अपीलान्ट के पिता हीरा का भी देहान्त हो चुका है। उसके वारिसान अपीलान्ट सं0 1 ता0 3 मेघा, मंटू, हुक्कल को छोडा है। जो कि उपरोक्त अपीलान्टस मृतक पांच्या, हीरा के वारिसान है।

नवीन राजस्व रिकॉर्ड में खाता सं0 नया 71 व पुराना 73 में अपीलान्टस सं0 1 ता0 3 के जाति गुर्जर दर्ज कर दी गयी है। तथा खातेदार पांच्या पुत्र पईसा के आगे जाति गुर्जर दर्ज हो गयी है। जो कि गलत दर्ज हो रहा है। नामांतकरण भरते समय जाति लिखने से रह गयी थी, तथा अपीलान्टस के पिता की जाति मीना है, तथा अपीलान्ट की जाति भी मीना है, इसलिए यह गलती नामांतकरण भरते समय राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण हुयी है। इस नामान्तकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है।जबकि विकय पत्र तारीखी 2.5.77 में केतागण अपीलान्टस के पिता की जाति स्पष्ट रूप से मीना लिखी गयी है।

अपीलान्टस पटवारी हल्का के पास किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु गये और जमाबंदी निकलवाने का निवेदन किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि इसमें तो तुम्हारे पिताओं की जाति गुर्जर दर्ज हो रही है। इसके बाद नामांतकरण की नकल के लिए आवेदन पेश किया, जिस पर नकल दिनांक 7.6.22 को नकल प्राप्त हुयी। तथा रजिस्टर्ड विकय पत्र की नकल के लिए जिला अभिलेखागार करौली में दिनांक 6.7.22 को नकल की दर0 पेश कि , जिस पर दिनांक 6.7.22 को ही नकल प्राप्त की। इसके बाद कानूनी सलाह मशवरा करने दिनांक 15.9.2023 को वकील साहब के पास हिण्डौन आये तो वकील साहब ने शीघ्र ही अपील पेश करने कि सलाह दी, जिस पर यह अपील अंदर अवधि पेश की जा रही है। प्रा0 पत्र दफा–5 म्याद अधिनियम अलग से पेश है।

उपरोक्त परिस्थितियों में पुनः नये सिरे से नामांतकरण में संशोधन करते हुए जाति मीना दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस नामांतकरण में संशोधन करने में किसी भी पक्ष को कोई हक तकलीफ नही है, इस कारण नामांतकरण जेरे अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपील की सुनवाई का अधिकार माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है।

अतः अपील अपीलान्टस पेश कर निवेदन है कि अपीलान्टस की अपील स्वीकार फरमायी जाकर नामांतकरण जेरे अपील नामांतकरण सं0 8 दिनांक 25.8.77 को निरस्त किया जाकर ग्राम पंचायत सिकरौदा मीना पं0 स0 हिण्डौन को आदेशित किया जावें कि अपीलान्ट के हक में नये सिरे से नामांतकरण विधिवत विकय पत्र 2.5.77 के आधार पर भरते हुये जिसमें अपीलान्टस व अपीलान्टस के पिताओं की जाति मीना दर्ज करते हुए विधिवत रूप से भरे जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर हुई। रैस्पोन्डेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ, रैस्पोन्डेन्ट के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आदेशिका दिनांक .8.2024 द्वारा रैस्पोन्डेन्ट के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल विकय पत्र की प्रमाणित प्रति, नकल नामांतकरण सं0 8 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 खाता संख्या 39, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 खाता संख्या 71, जनआधार की

उपखण्ड अ...
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:11:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रति, पांच्या का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, हुक्कल के आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रति एवं मंटू के आधार कार्ड की प्रति पेश किये हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, नकल नामांतकरण सं0 8 की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 खाता संख्या 39, नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 खाता संख्या 71 में अपीलान्टस की जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड है

जबकि वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति जनआधार की प्रति, पांच्या का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, हुक्कल के आधार कार्ड व राशन कार्ड की प्रति एवं मंटू के आधार कार्ड में जाति मीना दर्ज है।

नकल नामान्तकरण सं0 8 फैंसल दिनांक 25.8.77 के अनुसार आराजी नकल जमाबन्दी सं0 2035–38 के अनुसार खाता संख्या 39 के आराजी खसरा नम्बर 336 रकबा 0.03 है0, जमाबन्दी संवत 2072–75 के नया खाता संख्या 71 व पुराना खाता सं0 73 के खसरा नं0 756 रकवा 0.66 है0 खसरा नं0 757 रकवा 1.30है0, खसरा नं0 758 रकवा 0.49 है0, वाके ग्राम दुघाटी तहसील हिण्डौन के खातेदार पांच्या पुत्र पैसा, मेघा पुत्र हीरा , मंटू पुत्र हीरा, हुक्कल पुत्र हीरा की जाति गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड हैं जबकि अपीलान्टीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरों में खातेदारों की हिस्सेदारी तो सही है लेकिन नामांतकरण संख्या 8 दिनांक 25.08.77 में अपीलांटस के पिताओं की जाति मीना के स्थान पर गुर्जर दर्ज रिकॉर्ड हो गयी है। जबकि अपीलांटस के पिताओं हीरा, पांच्या पुत्रगण पैसा दिनांक 2.5.77 द्वारा कय की गई उक्त भूमि के विकय पत्र में जाति मीना का अंकन दर्ज रिकॉर्ड है। जिससे प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड यथा विकयपत्र दिनांक 2.5.77 के आधार पर अपीलान्टस की जाति गुर्जर के स्थान पर मीना सही होना प्रतीत होता है।एवं प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 8 फैंसल दिनांक 25.08.77 निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाती है। साथ ही अपीलान्टस द्वारा उक्त विवादित भूमि का बैंक में रहन है, अपीलान्टस द्वारा बैक से अदेय प्रमाण पत्र तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ पेश करने की स्थिति में ही नामान्तकरण सं0 8 फैंसल दिनांक 25.08.77 ग्राम दुघाटी तहसील हिण्डौन को निरस्त मानते हुए तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार पुनः नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। इस हेतु तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद [illegible] नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2024 [illegible] जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.09.25 12:41:12 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर) 12.4.24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Scanned with CamScanner